



राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़

dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

Ph.No. 01478 294141

कमाक. एफ. ()कार्मिक/उवसं0/2023-24/ 5178

दिनांक :- 14/9/2023

-: विज्ञप्ति :-

इस कार्यालय अधीन नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा सहायक) के 01 रिक्त पद हेतु (अनुसूचित क्षेत्र के लिये आरक्षित) आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर (पशुपालन विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति किये जाने की दिनांक तक की अवधि के लिये) राशि रु. 17,700.00 (अक्षरे रुपये सत्रह हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर पूर्णतः अस्थाई रूप से लिया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप, आरक्षित पदों की संख्या, आवश्यक शर्तें, दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप आदि विभागीय वेबसाईट <https://forest.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध हैं एवं कार्यालय समय में अन्तिम दिनांक से पूर्व दिवस तक इस कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र मय मूल दस्तावेज कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़, के कार्यालय परिसर में दिनांक 26.09.2023 को 9.00 ए.एम. से 12:00 पी.एम तक जमा करवाना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र तिवाड़ी)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

कमाक. एफ. ()कार्मिक/उवसं0/2023-24/ 5179-83

दिनांक :- 14/9/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, प्रतापगढ़।
3. सम्पादक, दैनिक नवज्योति को देकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को आगामी जिला स्तरीय संस्करण मे डी.पी.आर. की दर पर न्यूनतम साईज मे प्रकाशित करावें।
4. सम्पादक, जय काण्डल (प्रजापत पब्लिक सिटी) को देकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को आगामी जिला स्तरीय संस्करण मे डी.पी.आर. की दर पर न्यूनतम साईज मे प्रकाशित करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़





राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़

dcf.pratapgh.forest@rajasthan.gov.in

Ph.No. 01478 294141

क्रमांक. एफ. ()कार्मिक/उवसं०/2023-24/5184

दिनांक :- 14/9/2023

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4924-29 दिनांक 26.08.2023 द्वारा जारी विज्ञप्ति नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा सहायक) के 01 रिक्त पद हेतु आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर नियुक्ति की जानी थी। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

भवदीय

(देवेन्द्र तिवाड़ी)

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

क्रमांक: एफ.वी()पशुपालन/UTB (LSA)/नियुक्ति/2023 5185-88 दिनांक : 14/9/2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
2. सम्पादक, राजस्थान पत्रिका को देकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को आगामी जिला स्तरीय संस्करण में डी.पी.आर. की दर पर न्यूनतम साईज में प्रकाशित करावें।
3. सम्पादक, दैनिक भास्कर को देकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को आगामी जिला स्तरीय संस्करण में डी.पी.आर. की दर पर न्यूनतम साईज में प्रकाशित करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

आवेदन पत्र

पशुधन सहायक के पद पर (आवश्यक अस्थायी आधार पर) नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र



आवेदक का
नवीनतम
पासपोर्ट
साइज का
फोटो

1. आवेदित जिले का नाम.....
2. आवेदक की श्रेणी (General/SC/ST/BC/MBC/EWS/महिला/विधवा/परित्यक्ता) आवेदक अनुसूचित क्षेत्र (TSP)का होना आवश्यक है
3. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में).....
4. पिता/पति का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में).....
5. जन्म दिनांक दिनांक 18.07.2023 को आयु (.....वर्ष.....माह.....दिन)
6. लिंग (महिला/पुरुष).....
7. जाति संवर्ग
8. शैक्षणिक विवरण

क्र. सं.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	12 th					
2	AHDP					

9. गृह जिला
10. स्थायी निवास का पता
11. पत्र व्यवहार का पता मय मोबाईल नंबर/ई-मेल एड्रेस
12. 01.05.2023 को जीवित संतान की संख्या
13. विवाह पंजीयन की तिथि एवं पंजीयन कार्यालय का विवरण

मैं यह निष्ठा पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतया सत्य हैं एवं मैं किसी दण्डनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कमी भी दण्डित नहीं हुआ हूँ। मैं अपना आवेदन जिला में पशुधन सहायक के रिक्त पद के लिए नियत पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु कर रहा हूँ।

निर्धारित शपथ-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज (मूल एवं स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के दो सेट संलग्न हैं)

संलग्न :- कुल पृष्ठ

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं प्रार्थी का नाम

शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु जाति.....

निवासी.....

जिला..... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनायें सत्य है। शैक्षणिक योग्यता विधि मान्य संस्था से अर्जित किये गये है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, मैं राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं भविष्य में इस नियुक्ति के संदर्भ में विभाग में नियमित नियुक्ति के लिये किसी भी न्यायलय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
4. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में मैं धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचन देता हूँ।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार मैं विवाहित हूँ, मैंने अपना विवाह पंजीकरण करा लिया है तथा विवाह में मैंने कोई दहेज नहीं लिया है।
6. मैं भविष्य में नियुक्ति के उपरांत किसी भी अन्य स्थान के लिये स्थानांतरण हेतु हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी, ना ही स्थानांतरण के लिये पात्र रहूंगा/रहूंगी, ना ही आवेदन करूंगा/करूंगी।
7. जिस स्थान के लिए मेरा चयन किया जायेगा, मैं उस स्थान के मुख्यालय पर निवास करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित पैरा 01 लगायत 07 मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है, इसमें ना ही कुछ गलत है और ना ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशुधन सहायकों की चयन हेतु मार्गदर्शिका एवं आवश्यक शर्तें

1. प्रार्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
2. आवेदक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
3. आवेदन की तिथि (18.07.2023 से पूर्व) को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) का नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी। जन्म दिनांक हेतु सैकण्डरी बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. कार्मिक विभाग(क-2) के आदेश क्रमांक एफ2(1)डीओपी/ए-II/2014 जयपुर दिनांक 17.07.2014 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार समस्त पद अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
5. आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को सम्बन्धित शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (10वीं, 12वीं, तथा डिप्लोमा)/जाति प्रमाण पत्र/राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र/(आवेदन की तिथि) की सत्यापित प्रतियां एवं पृथक राजपत्रित अधिकारियों से लिये गये दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह से के नहीं हो, पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र (Driving Licence, आधार कार्ड, पासपोर्ट, अथवा वोटर आई.डी.) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त सेट (स्व-प्रमाणित फोटो प्रति) जमा कराना आवश्यक होगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक के रूप में रुपये 17700/-प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता/वार्षिक वेतन वृद्धि/वरिष्ठता आदि का लाभ देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी को उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के अधीनस्थ पदस्थापन के अलावा अन्यत्र, अन्य जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
8. चयनित पशुधन सहायक को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
9. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचनबंध (Undertaking) दिया जाना आवश्यक होगा।
10. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीकरण की सूचना/दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
11. प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (राशि रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित)
12. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 दिवस अवधि में पद स्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा उसका चयन/नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुये प्रतीक्षा सूची से अन्य योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
13. पूर्व से पशुपालन विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे, आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक द्वारा आवेदन किये जाने पर उनको भविष्य में होने वाली नियमित भर्ती हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
14. प्रारंभिक रूप में आवश्यक अस्थाई आधार पर दी जाने वाली उक्त नियुक्तियां केवल तीन माह के लिए ही होंगी लेकिन विभाग द्वारा आवश्यक होने पर नियुक्ति अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।
15. आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त किसी भी अभ्यर्थी की सेवाएं असंतोषप्रद पाए जाने पर या कार्य सम्पादन में शिथिलता/लापरवाही विभाग के ध्यान में आने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवाओं को अविलम्ब समाप्त करने का क्षेत्राधिकार विभाग के पास रहेगा।
15. चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा। चयन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। चयन हेतु निर्धारित योग्यता एवं चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा:-
निर्धारित योग्यता -सीनियर सैकण्डरी एवं राजवास से संबद्धता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा।
चयन का आधार-चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा जो कि सीनियर सैकण्डरी एवं पशुपालन डिप्लोमा का औसत (दशमलव के दो तक) होगा। समान मैरिट होने पर क्रमशः पहले पशुपालन डिप्लोमा के अधिक अंक (प्रतिशत) एवं तत्पश्चात सीनियर सैकण्डरी के अधिक अंक (प्रतिशत) को एवं उसके बाद जन्म दिनांक पूर्व की होने को वरीयता दी जाएगी।
16. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1058 दि. 26.04.2023 के अनुसार निम्नानुसार रिक्त पदों पर स्वीकृति पशु पालन विभाग द्वारा पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति किए जाने की दिनांक अथवा तीन माह (जो भी पहले हो) तक ही प्रभावी रहेगी।

जिला	आवश्यक अस्थायी आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियों की प्रस्तावित संख्या
प्रतापगढ़	01 पद अनुसूचित क्षेत्र (TSP) हेतु आरक्षित